संख्या-17/2016/एम-05/94-स्टा०नि०-2-2016-700(163)/15

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन/सहायक आयुक्त स्टाम्प,
   उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 जून, 2016

विषय:- अप्रयुक्त एवं अप्रयोज्य स्टाम्पों की वापसी के प्रकरणों को निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

ऐसे अप्रयुक्त एवं अप्रयोज्य स्टाम्पों की वापसी के प्रकरण, शासन में मार्गदर्शन/स्वीकृति हेतु प्राप्त हो रहे है, जिनमें क्रेता एवं विक्रेता दोनों के हस्ताक्षर हो चुके है, अर्थात् जो धारा-2(12) के अनुसार निष्पादित हो चुके हैं, परन्तु निबंधित नहीं हुए है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-49(घ)(2) में उक्त प्रकार के प्रकरणों में भी स्टाम्प वापसी का स्पष्ट प्राविधान है। अत: ऐसे सभी प्रकरणों में नियमानुसार स्टाम्प वापसी की कार्यवाही निर्धारित अवधि में सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि स्टाम्प पत्र की वापसी के अनुरोध पर धन का भुगतान जनहित गारण्टी अधिनियम से आच्छादित है, अत: समयबद्धता अपेक्षित है।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या यथोक्त, तददिनांक।

प्रतिलिपि आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in